



संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02-11-2021

आज दिनांक 02.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 नफर वारण्टी नाम पता मुमताज अली पुत्र जान अली निवासी मुखलिसपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी चौकी मुखलिसपुर थाना महुली उ0नि0 श्री धर्मन्द्र मिश्रा, का0 सुरेश मौर्या।





संतकबीरनगर पुलिस



अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता खुशीद पुत्र स्व0 कटारी निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 334/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – प्रभारी चौकी दुर्गजोत थाना बखिरा उ0नि0 श्री रमेश यादव, का0 अनुज ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत रतनपुरा से इवेन्ट संख्या 01552 से कालर ने जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 07 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर दोनो पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी रमेश सिंह यादव, आ0 शुभम कुमार गुप्ता , हो0चा0 भीम कुमार ।



संतकबीरनगर पुलिस



मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 वाहनो से 113500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 100 वाहनो से 113500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

